## <u>न्यायालयः-जितेन्द्र कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>जगदलपुर बस्तर (छ०ग०)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क्रमांक 510/17</u> <u>प्रस्तुत दिनांक 09/05/2017</u>

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केंद्र करपावण्ड
जिला बस्तर जगदलपुर (छ॰ग॰)
3भियोर्ग
<u>विरुद्ध</u>
1- श्रीमती सुलेन्द्री पति दुर्जन उर्फ दुर्योधन
जाति राउत, उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरीगुड़ापारा
थाना करपावण्ड, जिला बस्तर जगदलपुर (छ॰ग॰)
<u>अभियुक्त</u>
<u>निर्णय</u>
आज दिनांक 28/08/2017 को घोषित

- 1. अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 34(1)(क) छ०ग० आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग है कि उसने दिनांक 10 अप्रैल 2017 को लगभग 19:30 बजे आरक्षी केंद्र करपावण्ड क्षेत्रांतर्गत ग्राम डोंगरीगुड़ा पारा में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 4 लीटर देसी हाथभट्टी महुआ शराब अपना अधिपत्य में विक्रय अथवा परिवहन हेतु रखा था।
- 2. प्रकरण में कोई उल्लेखनीय सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं है।

- 3. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 4 अप्रैल 17 को जब सहायक उपनिरीक्षक केशवप्रसाद पाणिग्रही हमराह स्टाफ के साथ गश्त पर थे उसी समय मुखबिर से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि, अभियुक्ता स्लेन्द्री अपने घर के सामने इमली झाड़ के नीचे देसी अवैध शराब विक्रय कर रही है। उपरोक्त सूचना की तस्दीक, मौके पर पह्ंचकर किए जाने पर अभियुक्ता के अधिपत्य में एक सफेद रंग की जरीकेन में 3 लीटर देसी शराब तथा एक प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर देसी शराब एवं अन्य प्लास्टिक का गिलास तथा बीयर का खाली बोतल पाया गया। मौके पर ही अभियुक्ता को धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उसके अधिपत्य में पाए गए संपत्तियों के वैध अधिपत्य दर्शित करने के संबंध में सूचना दी गई जिसके पश्चात अभिय्क्ता द्वारा वैध अधिपत्य प्रदर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्त्त नहीं करने पर अभियुक्ता से उपरोक्त संपत्ति गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। अभियुक्ता को मौका स्थल पर गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया एवम गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए, वापस आरक्षी केंद्र आकर मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जब्तश्दा शराब का परीक्षण कराकर आवश्यक अन्वेषण उपरांत यह अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- 4. अभियुक्ता को धारा 34(1)(क) छ॰ग॰ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत
  अभियोग विरचित कर पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्ता ने अभियोग
  अस्वीकार किया है तथा विचारण चाहा है। विचारण के दौरान प्रकरण में
  आए हुए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता का स्पष्टीकरण धारा 313 दंड

प्रक्रिया संहिता अंतर्गत लेखबद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्ता ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्ता की ओर से किसी बचाव साक्षी का परीक्षण प्रकरण में नहीं कराया गया है।

## 5. प्रकरण में निम्न विचारणीय बिंदु है:-

1. क्या अभियुक्ता को दिनांक 04 अप्रैल 2017 को लगभग 19:30 बजे आरक्षी केंद्र करपावण्ड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोंगरीगुड़ापारा में 4 लीटर देसी हाथ भट्टी महुआ शराब के अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय करते हुए पाया गया था?

## 6. विचारणीय बिंदु का सकारण निष्कर्षः-

7. प्रकरण में उपरोक्त विचारणीय बिंदु अथवा अभियोजन की कहानी अभियुक्ता से उसके पास पाये गए अवैध शराब की जब्ती प्रमाणित किए जाने पर आधारित है। उपरोक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रकरण में जब्ती के दो साक्षी क्रमशा रूखनाथ (अभियोजन साक्षी क्रमांक 4) तथा महिला आरक्षक चैमयंती कश्यप (अभियोजन साक्षी क्रमांक 3) का परीक्षण कराया गया है। साक्षी रूखनाथ (अभियोजन साक्षी क्रमांक 4) ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने अभियुक्ता को पहचानते हुए अभियुक्ता से उसके समक्ष किसी शराब की जब्ती नहीं होना बताया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक पर उसके अंगूठा निशान थाना करपावण्ड में पुलिस के कहने पर लगाया

जाना बताया है। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा पूछे गए सूचक प्रश्नों के उत्तर में भी अभियोजन की कहानी को स्पष्ट तौर पर अस्वीकार किया है।

8. अभियोजन की अन्य साक्षी चैमयंती कश्यप (अभियोजन साक्षी क्रमांक 3) ने अपने म्ख्य परिक्षण में प्रकट किया है कि, घटना दिनांक को वह सहायक उपनिरीक्षक केशव पाणिग्रही के साथ ग्राम डोंगरीग्ड़ापारा गश्त में गई थी, उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक केशव पाणिग्रही ने ग्राम डोंगरीगुढ़ापारा के अभियुक्ता से 4 लीटर देशी मह्आ शराब जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जब्त किया था। ज़ब्त ह्आ शराब एक प्लास्टिक के जरीकेन में एवं एक बोतल में अलग अलग रखा हुआ था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, वह थाना करपावंड में सहायक आरक्षक के पद पर पदस्थ है और यह स्वीकार किया है कि, वह घटना दिनांक को हमराह स्टाफ के रूप में गश्त पर नहीं गई थी। यह स्वीकार किया है कि, शराब पकड़कर वे लोग थाने आ गए थे और यह भी स्वीकार किया है कि जब्ती की कार्यवाही थाने में की गई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि जब्ती करते समय अभियुक्ता वहां उपस्थित नहीं थी, यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक में क्या लिखा है यह उसे पढ़कर नहीं बताया गया था तथा विवेचक ने उसे हस्ताक्षर करने को कहा था तब उसने हस्ताक्षर कर दिया था। चूंकि, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में जब्ती के संबंध में सारवान प्रतिकूल कथन कर बताया है कि जब्ती थाने में ह्ई थी और उपरोक्त जब्ती की कार्यवाही के समय अभियुक्ता वहां उपस्थित नहीं

थी, इस कारण इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में अभियुक्ता से उसके समक्ष जब्ती का साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है। अन्य साक्षी रूखनाथ (अभियोजन साक्षी क्रमांक 4) के न्यायालयीन परीक्षण के आधार पर भी अभियुक्ता से जब्ती का तथ्य का अनुसमर्थन नहीं हुआ है।

9. उक्त साक्षी के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा उक्त विचारणीय बिंद् अथवा अभियुक्ता से जब्ती के सारवान तथ्य के संबंध में स्वयं अन्वेषण अधिकारी केशव प्रसाद पाणिग्रही (अभियोजन साक्षी क्रमांक 2) का परीक्षण कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपने म्ख्यपरीक्षण में अभियोजन के कहानी के अनुसार ही प्रकट किया है कि, दिनांक 4 अप्रैल 17 को जब वह गश्त पर निकला था उसी दौरान मुखबिर से उसे ग्राम डोंगरीग्ड़ा पारा में आरोपी के घर के सामने अवैध रूप से देशी मदिरा के विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की तस्दीक करने वह हमराह स्टाफ के साथ घटनास्थल पर जा कर रेड किया था। घटनास्थल पर अभियुक्ता देसी मदिरा अपने अधिपत्य में रखी हुई पाई गई थी, तब उसे धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रदर्श पी-2 के अनुसार नोटिस दिया गया था, तथा उसके अधिपत्य में पाए गए प्लास्टिक के जरीकेन में 3 लीटर देशी मह्आ शराब एवं एक प्लास्टिक के बोतल में 1 लीटर देशी मदिरा शराब एवं दो नग स्टील का ग्लास जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के अन्सार जप्त किया गया था तथा मौके पर ही अभिय्क्ता को प्रदर्श पी-4 के अन्सार गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने घटनास्थल पर ही मौका स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-5 के अन्सार तैयार किया जाना बताया है तथा थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-6 लेखबद्घ किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने प्रदर्श पी-7 के अनुसार जब्तशुदा शराब का सैंपल परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक के समक्ष प्रेषित किया जाना बताया है एवं प्रकट किया है कि जप्तीपत्रक के दोनों गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किया गया था तथा अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

10. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, मुखबिर स्चना का पंचनामा उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया था, यह भी स्वीकार किया है कि नजरी नक्शा प्रदर्श पी०-5 पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं, यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०-3 में जब्ती का समय 19:30 बजे लेख किया गया है तथा घटना का समय भी 19:30 बजे ही लेख किया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि घटना का समय तथा जब्ती का समय एक नहीं हो सकता है, यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए जब्ती की गवाह महिला आरक्षक चैमयंती कश्यप उसके ही थाने की स्टाफ है और यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना पत्र में यह लिखा गया है कि महिला आरक्षक चैमयंती कश्यप एवं अन्य के साथ मोटरसाइकिल में गांव में गश्त पर निकले थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि गवाह चैमयंती कश्यप का कथन इस साक्षी ने लेखबद्ध किया है जिसमें उसने ऐसा बताया है कि वह थाने में सहायक आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक मंगलवार 4 अप्रैल 2017 को मेरे साथ ही रूखनाथ के साथ करपावंड रोड के पास खड़े

थे। यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम स्चना पत्र में चैमयंती कश्यप को हमराह के रूप में दर्शाया गया है जबिक उसके पुलिस कथन में उसका करपावंड रोड में खड़ा होना बताया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम स्चना पत्र में लिखा गया कथन सही है या गवाह चैमयंती कश्यप के कथन में लिखा गया कथन सही है यह उसे याद नहीं है। इस गवाह ने तैयार किए गए नजरी नक्शा में समय का उल्लेख 19:40 बजे होना तथा गिरफ्तारी पत्रक में भी 19:40 बजे का ही समय लेख होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दोनों कार्यवाही एक ही समय में नहीं हो सकती है। अन्य कोई प्रतिकूल कथन इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में नहीं किए हैं।

11. चुंकि उपरोक्तानुसार यह पाया गया है कि, अभियुक्ता से जब्ती के संबंध में मामले के स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्ता से जप्ती का अनुसमर्थन नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में यह विचार किए जाने योग्य है कि क्या स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अनुसमर्थन नहीं किए जाने की दशा में भी उक्त अनवेषण अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्ता से उपरोक्तानुसार जब्ती के तथ्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। चुंकि अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोजन के इस प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों का उपरोक्तानुसार अनुसमर्थन नहीं पाया गया है ऐसी दशा में केवल एक मात्र अनवेषण अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त किए जाने हेतु अनवेषण अधिकारी का साक्ष्य ऐसा संपुष्ट होना चाहिए जिससे उसके एकल अभिसाक्ष्य के आधार पर मामले के तथ्य असंदिग्ध रूप से प्रमाणित माने जा सके। अनवेषण अधिकारी

द्वारा प्रतिपरीक्षण में प्रस्त्त तथ्य उसके म्ख्य परीक्षण में प्रस्त्त तथ्यों से अत्यंत विचलित दर्शित हैं, जैसा कि इस साक्षी ने गश्त के दौरान मुखबिर सूचना का प्राप्त होना बताया है परंत् उक्त मुखबिर सूचना स्वयं के द्वारा लेख नहीं किया जाना स्वीकार किया है, ऐसी दशा में जब यह साक्षी स्वयं गश्त पर था तब मुखबिर सूचना किसके द्वारा लेख किया गया यह इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है, इसके अतिरिक्त इस साक्षी के द्वारा जिस महिला आरक्षक की उपस्थिति ग्राम डोंगरीग्ड़ापारा में जब्ती के समय होना बताया गया है उसी के कथनों में इस साक्षी के द्वारा घटना के समय उसका करपावंड रोड पर अन्य जब्ती के गवाह रूखनाथ के साथ खड़ा होना लेख किया गया है। उपरोक्त से स्वयं इस साक्षी के द्वारा जब्ती की कार्यवाही किया जाना प्रथमदृष्टया ही संदिग्ध दर्शित है। साक्षी के द्वारा मौका स्थल पर अपराध घटित होना पाए जाने पर मौका स्थल पर कोई देहाती नालसी लेखबद्घ नहीं किया जाना तथा मामले में उसके रवानगी एवं वापसी का सान्हा प्रमाणित नहीं किए जाने से भी उक्त साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही संदिग्ध दर्शित होती है, तथा उपरोक्त प्रकट संदेह को मामले में कार्यवाही के तथ्यों का स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अन्समर्थन नहीं होना और बल प्रदान करता है। दंड विधि के निर्वचन का यह स्थापित नियम है कि दांडिक मामलों में संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में निर्वचित किया जाना चाहिए तथा जहां दो राय संभव हो वहां अभियुक्त के पक्ष वाली राय अपनाई जानी चाहिए। चुकि प्रस्तुत मामले में जब्ती के उपरोक्तानुसार प्रकट तथ्य को स्वतंत्र साक्षियों का अनुसमर्थन प्राप्त

नहीं है और अनवेषण अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही यहां उपरोक्तानुसार अत्यंत संदिग्ध दर्शित हुई है इसलिए यह संदेह से परे प्रकरण में प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्ता से घटना दिनांक को विचारणीय बिंदु के अनुसार अवैध शराब की जब्ती की गई थी।

12. प्रकरण में अन्य साक्षी आबकारी उपनिरीक्षक आर॰एस॰ पैकरा (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) का भी परीक्षण कराया गया है, यह साक्षी प्रकरण में जब्तश्दा मदिरा के परीक्षण का साक्षी है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में प्रकट किया है कि उसके समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2017 को थाना करपावंड से 1 लीटर की क्षमता वाले प्लास्टिक के बोतल में द्रव्य परीक्षण हेत् प्रस्त्त किया गया था साक्षी ने उक्त दिनांक को ही उक्त दृव्य का परीक्षण करना तथा प्लास्टिक की बोतल में भरे एक लिटर के द्रव्य को मह्आ देसी शराब पाया जाना प्रदर्श पी०-1 के अनुसार बताया है। मामले में अभियुक्ता से एक प्लास्टिक के जरीकेन में 3 लीटर शराब तथा एक प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर शराब जप्त किया जाना बताया गया है जबकि इस साक्षी के समक्ष केवल एक प्लास्टिक के बोतल में 1 लीटर शराब को परीक्षण हेत् प्रेषित किया जाना दर्शित है इसके अतिरिक्त प्रकरण में जब्ती दिनांक 4 अप्रैल 2017 को होना बताया गया है परंत् इस साक्षी के पास परीक्षण हेत् दिनांक 5 अप्रैल 2017 को उक्त द्रव्य भेजा जाना एवं इस साक्षी के द्वारा प्राप्त किया जाना प्रकट किया गया है। प्रकरण में जब्तश्दा द्रव्य जब्ती के दिनांक से परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने के दिनांक 5 अप्रैल 2017 तक कहां और किस स्थिति में तथा किसके अधिपत्य में था इस संबंध में भी प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई शराब की मात्रा एवं परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से पूर्व तथा जब्ती किए जाने के समय के मध्य तक जब्तशुदा मदिरा के आधिपत्य के संबंध में कोई संपुष्ट साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं होने से मामले में जब्तशुदा द्रव्य का ही इस साक्षी के द्वारा परीक्षण भी संदिग्ध प्रकट हुआ है। उपरोक्तानुसार मामले में उपरोक्त पाए गए संदेह के आलोक में अभियुक्ता से घटना दिनांक को अभियोजन की कहानी अनुसार 4 लीटर देशी महुआ शराब की जब्ती प्रमाणित नहीं हो सकना पाया गया है।

- 13. उपरोक्तानुसार प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त अवलोकन एवं निष्कर्ष अनुरूप अभियोजन का संदेह से परे यह प्रमाणित किए जाने में पूर्णतः असफल होना पाया गया है कि अभियुक्ता ने दिनांक 10 अप्रैल 2017 को लगभग 19:30 बजे आरक्षी केंद्र करपावण्ड क्षेत्रांतर्गत ग्राम डोंगरीगुड़ा पारा में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 4 लीटर देसी हाथभट्टी महुआ शराब अपना अधिपत्य में विक्रय अथवा परिवहन हेतु रखा था। अतः संदेह से परे आरोप प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण अभियुक्ता को धारा 34(1)(क) छ०ग० आबकारी अधिनियम अंतर्गत विरचित उक्त अभियोग में अभियुक्ता को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. अभियुक्ता की जमानत एवं म्चलके उन्मोचित किए जाते हैं।

दांडिक प्रकरण क्रमांक 510/2017 छ०ग०राज्य विरूद्घ सुलेन्द्री

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन है अतः उक्त संपत्ति अपील अवधि उपरांत अपील न होने पर नष्ट की जावे तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निणर्य दिनांकित हस्ताक्षरित कर खुले मेरे निर्देश पर टंकित किया गया न्यायालय में घोषित

(जितेन्द्र कुमार सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर (छ०ग० ) (जितेन्द्र कुमार सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर (छ॰ग॰ )